

प्रूप - 3

[नियम 8 देखें]

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

एआरटी क्लिनिक (स्तर 1/स्तर 2)/एआरटी बैंक

(दो प्रतियों में जारी किया जाए)

प्रमाणपत्र संख्या:.....

1. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 16(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुचित प्राधिकारी उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित एआरटी क्लिनिक को को समाप्त होने वाली की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते हैं।

- (a) एआरटी क्लिनिक का नाम और पता:
- (b) संस्थान का प्रकार (सरकारी/निजी)
- (c) सुविधा का प्रकार: स्तर 1/स्तर 2

या

निम्नलिखित एआरटी बैंक को समाप्त होने वाली अवधि के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के अनुसार गतिविधियों और प्रक्रियाओं को करने के प्रयोजन हेतु

- (a) एआरटी बैंक का नाम और पता:
- (b) संस्थान का प्रकार (सरकारी/निजी)

2. यह रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम और उसके अधीन नियमों के अधीन प्रदान किया जाता है और इनके किसी भी उल्लंघन का परिणाम, पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले इस रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलम्बन या निरस्तीकरण होगा।
3. रजिस्ट्रीकरण संख्या आवंटित की गई
4. केवल रजिस्ट्रीकरण के नवीकृत प्रमाण प्ररूप के लिए:

रजिस्ट्रीकरण के पहले प्रमाण प्ररूप की वैधता की अवधि से तक

समुचित प्राधिकारी के

हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

तारीख:

स्थान:

सील

इस प्रमाणपत्र की एक प्रति व्यवसाय के स्थान पर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करें।

* जो लागू या आवश्यक न हो उसे काट दें